संख्या–वे0आ0–2–1115/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–3) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) महिला कल्याण विभाग एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के अन्तर्गत विद्यमान निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों यथा–चतुर्थ श्रेणी के पद (अनुसेवक/चपरासी), लिपिकीय संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, वाहन चालक संवर्ग, आदि संवर्गों के विषय में समिति द्वारा अलग से दी गयी संस्तुतियो पर लिये गये निर्णय के अनुसार वेतनमान आदि अनुमन्य होगें। अतः इन पदों के सम्बन्ध में अलग से संस्तुतियॉ दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यमान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर/ किशोरी), बाल गृह आदि संस्थाओं के शैक्षिक पदों के लिये शिक्षा विभाग के समकक्ष शैक्षिक पदों के वेतनमान के सादृश्य वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं है। इन संस्थाओं के शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखा जाय।

(3) महिला कल्याण विभाग के सहायक विकास अधिकारी, ग्राम सेविका, कनिष्ठ सहकारी (राजपत्रित) तथा कनिष्ठ सहकारी (अराजपत्रित) के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय।

(4) महिला कल्याण विभाग के किशोर न्याय अधिनियम शाखा के सहायक अधीक्षक वेतनमान रू0 4500–7000 तथा उप अधीक्षक वेतनमान रू0 4000–6000 के पदों को संविलीन करते हुए सहायक अधीक्षक पदनाम

एवं वेतनमान रू0 4500–7000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। इसी प्रकार आई0टी0पी0 शाखा के सहायक अधीक्षक पद के लिये वेतनमान रु0 4000–6000 के स्थान पर वेतनमान रू0 4500–7000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय। उक्त के फलस्वरूप दोनों शाखाओं के सहायक अधीक्षक पद समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में होंगे तथा अपनी–अपनी शाखा के अधीक्षक पद के पोषक पद हो जायेगें।

(5) महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत विद्यमान उक्त संस्थाओं के पर्यवेक्षक के पदों पर रू0 3200–4900 के स्थान पर रू0 4000–6000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(6) महिला कल्याण विभाग के आई0टी0पी0 एवं किशोर गृहों में उपलब्ध केयर टेकर के पदों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में तत्काल प्रभाव से वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1900/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(7) विभागीय कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रोबेशन अधिकारी के पदों को मृत संवर्ग घोषित करने के पूर्व निर्णय के कार्यान्वयन के स्थान पर इन पदों को पूर्ववत् बनाये रखा जाय।

(8) उद्धार अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(9) प्लेसमेन्ट अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(10) महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(11) महिला कल्याण विभाग के मण्डलीय उप मुख्य प्रोबेशन अधिकारी/मूल्यांकन अधिकारी के पदों पर वर्तमान में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 6600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(12) मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0

6600/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(13) विभाग में विद्यमान संयुक्त निदेशक पद पर वेतनमान रू0 12000–16500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(14) महिला कल्याण विभाग में विद्यमान कम्पाउण्डर के पद का पदनाम चिकित्सा विभाग के सादृश्य पर फार्मासिस्ट रखा जाय।

(15) बाल विकास एवं पुष्टाहार के अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय।

(16) महिला कल्याण विभाग तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–111 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।